

उनवान

रंगलाल वनाम रामदेव

दावा बाबत :- 53, 92ए, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 192/2024

पेश करने की दिनांक - 18.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक नितेश यादव मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम राजोसी के हाल खसरा नम्बर 4360/3 रकबा 0.0668 का खातेदार वादी रंगलाल पुत्र भंवर सिंह, खसरा नम्बर 4360/2 रकबा 0.0375 का खातेदार प्रतिवादी रामदेव पुत्र मंगला व खसरा नम्बर 4360/1 रकबा 0.0457 का खातेदार वादी राम सिंह पुत्र छोटू को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 8 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुत्तफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुत्तफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद